

क्रमांक २३१२/२२५२/२००६/१-१०

प्रति अधिकारी का द्वारा दिया गया

भोपाल, दिनांक ८-७-०६

सामग्री अपरा मुख्य सचिव,

प्रमुख सचिव/सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

शासन के समस्त विभाग

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त संभागाध्यक्ष,

समस्त कालेक्टर,

मध्यप्रदेश शासन।

विषय:-

२९७६/FVS
१०-१-०६

कार्य विभागों के विभिन्न संभागों के भण्डारागारों में उपलब्ध अनुपयोगी एवं अतिशेष सामग्री का सदृपयोग।

शासन के द्वारा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कार्य विभागों के

SE(A) विभिन्न संभागों के भण्डारागारों में लैंड समय से रखी काफी सामग्री पा तो अनुपयोगी है पा अतिशेष है। दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर अन्य संभागों/विभागों द्वारा उसी सामग्री को पुनः क्रप किया जाता है, जिससे व्यय की गई E-N-C धनराशि का सदृपयोग नहीं हो पाता।

2.

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि विभागों के विभिन्न जिलों में स्थित भण्डारागारों से अतिशेष एवं अनुपयोगी सामग्री की जानकारी

EB(C) पेक्षाइट पर रखी जाय तथा उसे प्रमुख अभियंता कार्यालय में संकलित किया जाये।

जिलों में विभिन्न परियोजनाओं हेतु आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध सामग्री की

जानकारों के आधार पर प्रमुख अभियंता कार्यालय से क्रप हेतु अनापत्ति प्राप्त होने पर, जो उनके द्वारा अन्य विभागों तहित संकलित सूची में सामग्री अनुपलब्ध होने पर जारी की जावेगी, सामग्री क्रप की जाना चाहिए। यदि प्रमुख अभियंता कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त किये बिना सामग्री क्रप की जाती है तो उसे शासकीय घन का अपव्यय मानते हुए क्रपकर्ता के विलम्ब कार्यवाही की जावे।

अन्त छठा

.....2

५
३२१२

3/- अतः निवेदन है कि कृपया उपरोक्तानुसार विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा की गई कार्यवाही संबंधित दराने का कष्ट करें। अनुपयोगी सामग्री को अपलेखन कराइर नियमानुसार निराकरण दराने की भी कार्यवाही डोनार सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश भोपाल
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
२५/७/२००६

डी.एस. राय
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक प्रशासन विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ० क्रमांक ६३८४ /क्य-१०१(२)/प्र०अ०/लोस्वायांवि०/
मध्यप्रदेश भोपाल
भोपाल, दिनांक २५/७/०६

प्रतिलिपि:-

- मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिषेत्र - भोपाल, इंदौर, जबलपुर, गwaliyar एवं वि./या. भोपाल
- अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडल/परियोजना मंडल मध्यप्रदेश।
- कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड/परियोजना खंड मध्यप्रदेश।

परिषेत्र स्तर से जिलेवार जानकारी टाईप कराकर एवं सी.डी.के साथ 15 दिनों में इस कार्यालय को भेजें। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(सुधीर सक्सना)
प्रमुख अभियंता